न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (झुन्झुनू)
पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीना आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 12/2017 (पत्थर गड्डी)

अंकित मूण्ड पुत्र श्री मूलचन्द जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा बडवासी हाल 19 प्रवासी नगर मुरलीपुरा जयपुर हाल अध्यक्ष मोहरी देवी शिक्षा समिति, जयुपर

—आवेदक

बनाम

1. मोहन पुत्र भाना जाति जाट निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू(राजस्थान)
2. तहसीलदार, नवलगढ(लैण्ड होल्डर) तहसील नवगलढ जिला झुन्झुनू।

—अनावेदक

प्रार्थना पत्र : अं.धारा 111, 128 रा0 भू0 रा0 अधि0 1956

निर्णय

निर्णय दिनांक 12.10.2017

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का बडवासी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 270 रकबा 0.8000 है0, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.0400 है0 किता 2 कुल रकबा 0.8400 है0 स्थित है जिसकी खातेदारी आवेदक के नाम से दर्जशुदा चली आ रही है। उक्त भूमि आवेदक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। आवेदक ने अपनी उक्त वर्णित खातेदारी काश्त की भूमि के दो ओर से तारबन्दी कर रखी है। आवेदक अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थर लगवाना चाहता है। इस पर आवेदक ने तहसीलदार नवलगढ के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत क़र दिनांक 24.06.2017 को अपनी भूमि का रिकार्ड अनुसार सीमाज्ञान करवाया। आवेदक की भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार पत्थरगड्डी किया जाना आवश्यक है जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न न हो। परन्तु अनावेदक नं. 1 की भूमि खसरा नम्बर 223/ 0.0400, 224/1.5400,323/272/0.5100 किता 3 कुल रकबा 2.0900 है0 मे से ख. न. 323/272/0.51 है0 आवेदक के उत्तर दिशा में स्थित है अनावेदक संख्या 1 व आवेदक के खेत के मध्य सीमा को लेकर अनावेदक विवाद करता रहता है इसलिए आवेदक ने अपने खेत का सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2017को करवा लिया तो पटवारी हल्का ने अपने सीमाज्ञान रिपोर्ट में भी इस बात का अंकन किया है कि आवेदक के खेत के चारो ओर की सीमा में सीमा चिन्ह बता दिये है जिसकी पत्थर गड्डी करवाया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी अनावेदक की गई। अनावेदक सं. 1 व 2 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः बहस वकील आवेदक सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम जयसिंहपुरा सवंत् 2069—2072 के अनुसार भूमि ख.न. 270/0.80,271/0.04 किता 2 कुल रकबा 0.84 है की खातेदारी मोहरी देवी शिक्षा समिति जयपुर जरिये अध्यक्ष अंकित मूण्ड पि. मूलचन्द जाति जाट निवासी 19 प्रवासी नगर मुरलीपुरा जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस संबंध में प्रस्तुत नकल सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार दिनांक 24.06.2017 को पटवारी हल्का बडवासी द्वारा ग्राम जयसिंहपुरा की भूमि ख.न. 270/0.80, 271/0.04 का सीमाज्ञान राजस्व नक्शा एंव मौके के अनुसार माप फिता एंव जीपीएस मशीन के माध्यम से आवेदक के परिजन को मौके पर कराया

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

गया। आवेदक अंकित मूण्ड पुत्र श्री मूलचन्द मौके पर नही मिला। सीमाज्ञान का माप उपलब्ध राजस्व नक्शा के अनुसार तथा मौके पर कब्जा स्थिति के अनुसार सीमाज्ञान किया गया। नजरी नक्शे मे निली श्याही से अंकित माप मौके के अनुसार है तथा लाल श्याही से अंकित माप उपलब्ध राजस्व नक्शा के अनुसार है। सीमाज्ञान करवाकर सीमा चिन्ह बताये गये। सीमाज्ञान की सहमति पर आवेदक के परिजनों के हस्ताक्षर लिए गये। चुंकि पूर्व में आवेदक की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान राजस्व कर्मियों द्वारा करवाया जा चुका है आवेदक सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगड्डी कराना चाहता है। अतः आवेदक का प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने के कारण स्वीकर किया जाता है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थना पत्र पत्थर गडी स्वीकार किया जाता है। ग्राम जयसिंहपुरा की भूमि ख.न. 270/0.80है0 तथा 270/0.04है0 का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश आवेदक से नियमानुसार शुल्क जमा राज लिया जाकर उक्त भूमि की पत्थरगडी करवाई जावे। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.10.2017 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़